GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
ISSN 2348-2397
UGC Approved Care Listed Journal

SID

शोध सरिता

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 7 • Issue 27 • July to September 2020

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sancHar
Educational & Research Foundation

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN - 2348 - 2397

SHODH SARITA

JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Ref. No. : SS/2020/SID62 Date : 22-09-2020

Certificate of Publication

गोपाल सिंह गौनिया
शोध छात्र
समाजशास्त्र
एम0बी0 राज0 स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, हल्द्वानी

TITLE OF RESEARCH PAPER

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित वर्गो हेतु कल्याण कार्यक्रम : एक अनूंठी सामाजिक पहल

This is certified that your research paper has been published in
Shodh Sarita, Volume 7, Issue 27, July to September 2020

SHODH SARITA
Editor in Chief

CHIEF EDITORIAL OFFICE
• 448 /119/76, KALYANPURI THAKURGANJ, CHOWK, LUCKNOW -226003 U.P.
Cell.: 09415578129, 07905190645
E-mail : serfoundation123@gmail.com
Website : http://www.seresearchfoundation.in | http://www.seresearchfoundation.in/shodhsarita

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	आपातकाल, अनुशासन–पर्व और हिंदी–कविता	डॉ0 अशोक कुमार ज्योति	1
2.	निशांतकेतु की कहानियों में एकल परिवार का स्थिति–चित्रण	डॉ0 शीला देवी	6
3.	मिथिला में सूर्योपासना : एक समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ0 शम्भू कान्त झा डॉ0 ममता कुमारी	8
4.	'नागार्जुन के उपन्यास बलचनमा में आंचलिकता'	डॉ0 संजय प्रसाद	11
5.	माताओं में लैंगिक पक्षपात संबंधी प्रवृत्ति पर शिक्षा का प्रभाव	प्रो0 एस एस0 रावत निर्मला चौहान	14
6.	जैन साहित्य में शिक्षा–व्यवस्था	ऊषा यादव प्रो0 रश्मि मेहरोत्रा	18
7.	पुराणों में 'अनन्त' और ' वासुदेव' शब्द का निर्वचन	डॉ0 मीनू अग्रवाल	22
8.	मणिमञ्जरी के प्रणेता महाकवि विद्यापति (एक समीक्षात्मक अध्ययन)	डॉ0 ममता कुमारी डॉ0 शम्भू कान्त झा	26
9.	प्राथमिक शिक्षकों की सृजनशीलता का कृत्य सन्तोष पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन	डॉ0 राजेश पालीवाल योगेश कुमार पाल	29
10.	कोरोनाकाल में नए शब्दों का प्रचलन और उनका अनुप्रयोग	डॉ0 प्रशांत कुमार राय	34
11.	संत कवियों के 'सीकरी सो काम'	डॉ0 अनिल कुमार राय	39
12.	जनपद हाथरस में मत्स्य खाद्य संसाधन के विकास की सम्भावनाऐं	डॉ0 के0डी0 पाठक यशपाल सिंह	42
13.	गांधीजी का ग्रामीण स्वावलंबन में योगदान	डॉ. हेमलता बोरकर वासनिक	46
14.	मध्यकालीन स्त्रियों की दशा और मीरा की भूमिका	डॉ. फिरोजा जाफ़र अली श्रीमती मीनाक्षी रॉय	49
15.	पुरातात्विक स्थल हस्तिनापुर : एक सर्वेक्षण	मुकेश चौधरी अंशु त्यागी	53
16.	18वीं व 19वीं शदी में सूफ़ीमत का प्रमुख केंद्र रहा है वर्तमान हरियाणा का महम	बिजेंद्र सिंह दहिया प्रो. वंदना पूनिया	57
17.	हरियाणा में सूफीमत का उद्‌भव – एक विवेचना	मुनेश कुमारी प्रो0 वन्दना पूनिया प्रो0 किशनाराम बिश्नोई	61
18.	हरियाणवी लोकगीतों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिदृश्य	तारा देवी प्रो0 वन्दना पूनिया प्रो0 किशनाराम बिश्नोई	66

19.	माध्यमिक स्तर के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर TLM द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन	पिंकी मंसूरी डॉ0 जयदीप महार	70
20.	साहित्य के समाजशास्त्र की अवधारणा	मनीष तोमर	75
21.	योग का आध्यात्मिक स्वरूप	डॉ0 आयशा फ़ातमी	78
22.	हिन्दी काव्य और मिथकीय सन्दर्भ	रीमा शुक्ला	82
23.	सांस्कृतिक रूपान्तरण के भीतर संस्थागत विकल्पों की तलाश	रोली यादव	87
24.	हिंदी उपन्यास और किन्नर–विमर्श	डॉ0 (श्रीमती) सविता मिश्रा अन्तिमा गुप्ता	91
25.	बी०एड० अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की योग शिक्षा के व्यावहारिक अनुप्रयोग का उनके नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) शैलजा गुप्ता सुरेन्द्र यादव	95
26.	सोशल मीडिया और भारतीय राष्ट्रवाद : एक आलोचनात्मक अध्ययन	विशाल शर्मा	100
27.	निराला की राष्ट्रीय चेतना : नवयुगीन सन्दर्भ में	डॉ0 विजयलक्ष्मी शास्त्री	104
28.	जैव विविधता – महत्व क्षरण व संरक्षण	प्रिया पँवार	108
29.	स्वतंत्रता संघर्ष में सीतापुर जनपद की भूमिका	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार दीक्षित	112
30.	भारतीय समाज में कन्या भ्रुण हत्या : एक अभिशाप	डॉ0 नेहा कुमारी	116
31.	भारत में दहेज प्रथा	डॉ0 नेहा कुमारी	119
32.	राष्ट्रवादी कवि–'दिनकर'	इन्द्र भूषण	123
33.	पहाड़ी अंचल में बसी काँगड़ा चित्र शैली का विकासक्रम	डॉ0 निशा गुप्ता	125
34.	हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में नारी	प्रदीप महतो	130
35.	हिन्दी साहित्य में मीडिया का बदलता स्वरूप	मीनाक्षी सिंह	133
36.	भारत में भोजन का अधिकार : कुछ मुद्दे मानवाधिकारों के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषण	डॉ0 पवन कुमार मिश्र	137
37.	नवजागरण का भारतीय विमर्श	डॉ0 नविता चौधरी	142
38.	उपन्यासों में सृजित सामाजिक–सांस्कृतिक यथार्थ की जटिलताओं का आंकलन	डॉ0 मुकेश कुमार	146
39.	आधुनिक छोटी कविता और वर्तमान परिदृश्य	यशवन्त प्रजापति	150
40.	जनवादी कवि : नागार्जुन के काव्य में जनसंवेदना	डॉ0 आभा लता चौधरी	154
41.	इस्लाम धर्म में विवाह की परंपरा	गोदावरी कुमारी	157
42.	ग्रामीण पर्यटन का नया स्वरूप	मनु कुमार डॉ0 राधेश्याम सिंह	160

43.	मॉरीशस में हिन्दी और अभिमन्यु अनत (आठवें दशक के उपन्यासों के विशेष संदर्भ में)	ज्योति कुमारी	164
44.	देवेन्द्र सत्यार्थी के उपन्यास 'ब्रह्मपुत्र' में लोक संस्कृति (माझुली के संदर्भ में)	शालिनी मिश्रा	168
45.	शिव पुराण के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव व माहात्म्य	डॉ0 मधुलिका श्रीवास्तवा	171
46.	बीकानेर की उस्ताकला का ऐतिहासिक विश्लेषण	अजीतराम चौधरी	180
47.	''वर्तमान जनजातीय समाज में महिलाओं की भूमिका''	विष्णु कुमार शर्मा	186
48.	हिन्दी उपन्यासों में कश्मीरी समाज की अंतर्व्यथा एवं जीवन संघर्ष	डॉ0 अनिल कुमारी मोना यादव	190
49.	उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक अवसाद का अध्ययन	डॉ0 लता वैष्णव नरेन्द्र शंकर शर्मा	195
50.	रामचरितमानस में रामराज्य : पर्यावरण चेतना का प्रतिबिंब	रानी सिंह	198
51.	मराठी दलित आत्मकथाओं में शैक्षिक संवेदना	राकेश कुमार यादव	202
52.	लोक साहित्य : अस्तित्व की चुनौतियाँ	अनुपम यादव	205
53.	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पूर्व हिन्दी आलोचना के मूल भारतीय स्रोत	डॉ0 आरती मिश्रा	209
54.	मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा में स्त्री अस्मिता और जीवन संघर्ष	डॉ0 देवर्शि कुमार मिश्र	212
55.	उपनिषदीय शिक्षा नीति एवं वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता	वन्दना	216
56.	'मनोहरश्याम जोशी' कृत 'क्याप' में अभिव्यक्त उत्तर–आधुनिकता	निर्भय कुमार सिंह	221
57.	बच्चन और राजनीति (आत्मकथा के विशेष संदर्भ में)	मीनाक्षी देवी	225
58.	हिन्दी नाटक की परम्परा एवं बदलता स्वरुप : एक अध्ययन	पूनम	229
59.	बुद्धकालीन नगरों का पारस्परिक सम्बन्ध	डॉ0 रमा शरण मिश्र	233
60.	वंशीधर शुक्ल के काव्य में ग्राम्य जीवन एवं प्रकृति चित्रण	डॉ0 आभा शुक्ला	238
61.	संगीत के सन्दर्भ में सृजन और नवोन्मेष का अन्योन्याश्रित संबन्ध	अनादि मिश्रा	242
62.	ओशो के दर्शन में धर्म : एक अनुशीलन	डॉ0 श्रवण कुमार मोदी	245
63.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित वर्गों हेतु कल्याण कार्यक्रम : एक अनूंठी सामाजिक पहल	गोपाल सिंह गौनिया	248

ISSN - 2348-2397
APPROVED UGC CARE
SID

SHODH SARITA

SHODH SARITA
Vol. 7, Issue 27, July-September, 2020
Page Nos. 248-250

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित वर्गो हेतु कल्याण कार्यक्रम : एक अनूंठी सामाजिक पहल

गोपाल सिंह गौनिया*

शोध सारांश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत राश्ट्रपति द्वारा जारी किसी गये आदेशों में अनुसूचित जाति का विवरण दिया गया है और समाजशास्त्रीय मजूमदार के अनुसार ''दलित या अस्पृश्य जातियाँ वे है जो अनेक सामाजिक–राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार है इनमें से अनेक निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य यद्यपि संवैधानिक अनुच्छेद तथा अन्य लाभकारी योजनाओं द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु प्रयास किया गया है। परन्तु वास्तविकता में अभी भी इनकी प्रस्थिति विचारणीय है, विभिन्न विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति के विकास की ओर एक नवीन दिशा को उजागर करते थे।

Keywords : दलित वर्ग, कल्याण कार्यक्रम, संवैधानिक अनुच्छेद, परिप्रेक्ष्य, अनुसूचित जाति इत्यादि।

प्रस्तावना

समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उत्तराखण्ड सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकारों, वृद्धजनों, महिलाओं एवं समाज के सभी दबे हुए और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं को नई दिशा प्रदान करने के लिए सरकार ने 'स्पेशल कम्पोनेंट प्लान' के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी नियोजन विभाग से हटाकर समाज कल्याण विभाग को दी है, जिसके लिए प्रथक से समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या 1,00,86,292 में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18,92,516 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 18.77 प्रतिशत है। लगभग प्रत्येक पाँचवा नागरिक अुनसूचित जाति से है। जब तक इस जातिय समूह का विकास सर्वांगीण नहीं होगा तब तक विकास का कोई अर्थ नहीं होगा। विकास के इस मुख्य बिन्दू को केन्द्र में रखकर ही समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी।[1]

राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, वृद्धजनों, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों का कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभिन्नों विकास योजनाओं से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से उपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की सर्वोच्चतम प्राथमिकता अनुसूचित जाति, दिव्याँग एवं पिछड़ी जाति के लोगों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर इन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है। विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन के लिए 'उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम' की स्थापना की गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य एक नियोजित राज्य है राज्य ने अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास विशेषकर 'कमजोर वर्गों एवं समुदायों' हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु योजनाएँ[2]

1. अनुसूचित जातीय समूह के वृद्धों हेतु वृद्धापेंशन योजना,
2. विधवा पेंशन योजना,
3. दिव्याँग पेंशन योजना,
4. किसान पेंशन योजना,
5. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,
6. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान,
7. अनुसूचित जाति बाहुल्यि क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास,
8. अत्याचार उत्पीड़न में आर्थिक सहायता,

*शोध छात्र – समाजशास्त्र, एम0बी0 राज0 स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, हल्द्वानी

9. अनुसूचित जातीय समूह के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु छात्रवृति का आबंटन एवं वितरण,
10. व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उच्चर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु छात्रवृति,
11. अनुसूचित जातियों एवं जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार छात्र–छात्राओं के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से उच्च स्तरीय शासकीय सेवाओं की तैयारी के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था,
12. प्रदेश में अनुसचित जातियों के कल्याण हेतु राजकीय औद्योगिक आस्थान का संचालन,
13. नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना,
14. डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सा योजना,
15. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना,
16. आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन,
17. अनुसूचित जाति के छात्रा–छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन,

केन्द्र स्तर पर दलित वर्ग के उत्थान हेतू प्रयास

कल्याण एवं सलाहकार एजेंसी

भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है जो सामान्य रूप से अपने सभी नागरिकों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में व्यापक नीतियाँ और योजना बनाने तथा उनके विकास के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने वाले प्रमुख माध्यम हैं। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने कार्यक्षेत्र से सम्बंधित मामले की प्रमुख एजेंसी है। कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल भी रखता है। 1998 में इस मंत्रालय को नया नाम दिया गया–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

संसदीय समिति

सरकार ने अब तक तीन संसदीय समितियाँ गठित की हैं। पहली समिति 1968 में दूसरी समिति 1971 तथा तीसरी समिति 1973 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के बारे में संविधान में दी गई सुरक्षाओं के क्रियांवयन की जाँच करना था। इस समिति को अब संसद की स्थायी समिति बना दिया गया है और इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष रखा गया है।

राज्यों का कल्याण विभाग

राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अलग–अलग विभाग हैं। इनका प्रशासनिक ढाँचा राज्यों में अलग–अलग प्रकार का है। बिहार, मध्यप्रदेश और ओड़ीशा राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 164 में बताए गए जनजातीय कल्याण के कार्य की देख–रेख के लिए केन्द्र की संसदीय समिति के नमूने पर राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की समितियाँ गठित की गई हैं। कुछ अन्य राज्यों में विधानमण्डलों के सदस्यों की समितियाँ केन्द्र की संसदीय समिति की पद्धति पर गठित की गई हैं।

स्वयं सेवी संगठन

अनेक स्वयंसेवी भी अनुसूचित जातियों के कल्याण के प्रोत्साहन देने में जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर के कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं–हरिजन सेवक संघ, दिल्ली, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली, हिन्द स्वीपर आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली, रामकृष्ण मिशन, नरेन्द्रपुर, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली, आन्ध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ, नेल्लौर, सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी, पूणे और सामाजिक कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया (राजस्थान)। अनुसूचित जातियों के बीच रहकर कार्य करने वाली गैर–सरकारी स्वंयसेवी संगठनों को सरकार अनुदान सहायता उपलब्ध कराती है। वर्ष 2002–03 में 399 स्वयंसेवी संगठनों को 24 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नीति

1. अनुसूचित जातियों के विकास को तेज करने के लिए तिहरी नीति तैयार की गई है।
2. केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विशेष घटक योजना,
3. राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम। विशेष घटक योजनाओं विकास के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं का पता लगाने की व्यवस्था है जिनसे अनुसूचित जातियों को लाभ पहुँचे। बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं का प्रावधान तथा सामाजिक तथा शैक्षणिक विकास के अवसरों तक पहुँच को ही विशेष घटक योजनाओं में शामिल किया जा रहा हैं।

इन जातियों के कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह देने का उत्तरदायित्व अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त पर है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में पिछड़ी जातियों के कल्याण से सम्बन्धित संगठन के महानिदेशक इन जातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाते और उन्हें क्रियान्वित करते हैं।

राज्य सरकारों ने भी इनके हितों की रक्षा के लिए अलग–अलग विभाग खोले हैं। इसके अतिरिक्त अनेक स्वैच्छिक संगठन इन जातियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इनमें अखिल हरिजन सेवक संघ, दिल्ली, भारतीय दलित वर्ग संघ, नई दिल्ली, राम कृष्ण मिशन, भारतीय रेडक्रास, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद के नाम उल्लेखनीय हैं।

अनुसूचित जातियों के विकास को तेज करने के लिए तीन सूत्रीय नीति

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विशेष योजना,

(ख) राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता,

(ग) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम। विशेष घटक योजनाओं में विकास के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं का पता लगाने की व्यवस्था है जिनसे अनुसूचित जातियों को लाभ पहुँचे। उसका कुल मिलाकर उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को अपनी आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करने में सहायता देना है। बुनियादी सेवाओं व सुविधाओं का प्रावधान तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के अवसरों तक पहुँच को ही विशेष घटक योजनाओं में शामिल किया जा रहा हैं। सातवीं योजना के दौरान यह नीति जारी रही। सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए छठी योजना के दौरान विशेष घटक योजना के अन्तर्गत लागत तथा व्यय क्रमशः 4,204 व 3,533 करोड़ रूपए तथा सातवीं योजना में क्रमशः 6,303 व 5,941 करोड़ रूपए थी।

योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि

केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशिष्ट योजनाओं के तहत वर्ष 1994–95 में 982 करोड़ रूपए की व्यवस्था की। वर्ष 1996–97 में 2.75 अरब रूपए, वर्ष 1998–99 में इसके लिए 218,63 करोड़ रूपए दिये गये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए वर्ष 2001–02 के बजट में 986 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई थी। मैट्रिक के बाद छात्रवृति देने की योजना 1944–45 में प्रारम्भ हुई। इस योजना से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के छात्रों को उत्तर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिससे उनका समग्र शैक्षिक और आर्थिक विकास होता है।

वर्ष 2003–04 में 264.99 करोड़ रूपए की सहायता दी गई जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिला। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 55.75 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करायी गई। इतना ही नहीं संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2007–06 के बजट में अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। इस हेतु बजट में 6,253 करोड़ रूपए आबंटित किये गए।

अनुसूचित जाति के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2008–09 के बजट में 3,966 करोड़ रूपए तथा 2010–11 के बजट में 4,500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। केन्द्र सरकार ने 2013–14 के बजट में अनुसूचित जातियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 41,561 करोड़ रूपए की व्यवस्था की है। 2015–16 के केन्द्र सरकार के बजट में इन वर्गो के कल्याण के लिए 30,851 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।[3] केन्द्र सरकार ने इन वर्गो के कल्याण के लिए वर्ष 2016–17 के बजट में 38,833 करोड़ का प्रावधान किया है।[4]

निष्कर्ष

स्वतंत्र भारत में जातीय व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन आया है उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति में परिवर्तन आया है यह कह सकते हैं कि सात दशकों के अनेकों विकासात्मक उपायों ने अनुसूचित जाति की सामाजिक प्रस्थिति में भी परिवर्तन आया है राजनीतिक सहभागिता के बढ़ने के कारण अनेक संवैधानिक सरंक्षणों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के बाद इस जातीय समूह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में समर्थ रहा है।

सन्दर्भ :–

1. सेन्सस ऑफ इण्डिया, 1991, 2001, 2011
2. विवरिणिका, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड़
3. योजना मार्च 2015, प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 75
4. अमर उजाला दैनिक दिनांक 1 मार्च, 2016, नई दिल्ली, पृ. 15

❐❐❐